

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर  
क्रमांक:- ई-33/दन्त टेक्नी./ (एफ-1429)/2019/114 दिनांक 20/2/19

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11185/2016 कृष्ण कुमार बनाम राज्य में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 26.02.2018 की पालना में निदेशालय के आदेश क्रमांक 756 दिनांक 06.11.2015 के क्रम संख्या 57 पर अंकितानुसार श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री भाऊराव लैण्डे की दन्त तकनीशियन के पद पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बालोतरा (बाडमेर) के अधीन नियुक्ति प्रदान की गई थी, के क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2018 के परिपेक्ष्य में याचि की कुल औसत प्रतिशत 46.54 होने के फलस्वरूप निदेशालय के द्वारा जारी दन्त तकनीशियन पद की पदस्थापन सूची क्रमांक 756 दिनांक 06.11.2015 में याचि से कम प्रतिशत वाले अनारक्षित वर्ग के क्रम संख्या 58 पर अंकित श्री मनमोहन सैनी जिनकी कुल औसत प्रतिशत 45.99 है तथा जिन्होंने दिनांक 04.01.2016 को दन्त तकनीशियन पद पर कार्यग्रहण किया है, कि दिनांक 4.01.2016 से सेवा से संबंधित काल्पनिक लाभ (Notional Benefit) देय होंगे। वास्तविक लाभ श्री कृष्ण कुमार द्वारा दन्त तकनीशियन के पद पर कार्यग्रहण तिथि से देय होंगे।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक 20/02/19

क्रमांक:- ई-33/दन्त टेक्नी./ (एफ-1429)/2019/114  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप- 3) विभाग, राज. जयपुर।
5. उपविधि परामर्शी, मुख्यालय।
6. श्री कान्तिलाल ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर।
9. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बालोतरा, बाडमेर।
10. प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
11. श्री कृष्ण कुमार, दन्त तकनीशियन, को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
12. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।